उत्तराखण्ड शासन
गोपन (मंत्रिपरिषद) अनुभाग
संख्या– 545/XXI/2010
देहरादून : दिनांक 25 मई, 2010

## कार्यालय–ज्ञाप

वित्त विभाग के शासनादेश संख्या–397/XXVII(7)/2009 दिनांक 24.12.2009 के क्रम में अधोहस्ताक्षरी को यह कहने का निदेश हुआ है कि राज्यपाल सचिवालय सेवा के अनुभाग अधिकारी तथा उनके समकक्ष वेतनमान तक के पदधारकों को वर्तमान में अनुमन्य हो रहे विशेष वेतन एवं विशेष भत्ते को संविलियन करते हुये तथा राज्यपाल सचिवालय सेवा के अनुसचिव से उप सचिव तथा उनके समकक्ष वेतनमान तक के पदधारकों को वर्तमान में अनुमन्य हो रहे विशेष भत्ते के स्थान पर दिनांक 01.01.2006 से पुनरीक्षित किये गये वेतन वैण्ड में उन्हें अनुमन्य ग्रेड वेतन का 20 प्रतिशत के अनुसार विशेष भत्ता दिये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2. उक्तवत पुनरीक्षित दर से विशेष भत्ता दिनांक 01.04.2009 से अनुमन्य होगा।

3. इस संबंध में होने वाला व्यय सम्बन्धित वित्तीय वर्ष के आय–व्ययक के अनुदान संख्या–2 के लेखाशीर्षक "2012–राष्ट्रपति/उपराष्ट्रपति/राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासक–03–राज्यपाल के अन्तर्गत सुसंगत प्राथमिक इकाईयों के नामें डाला जायेगा।

4. उक्त आदेश वित्त विभाग के अ0शा0 संख्या–3019/XXVII(7)/2010, दिनांक 20 मई, 2010 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किया जा रहा है।

(सुरेन्द्र सिंह रावत)
अपर सचिव।

संख्या– 545/XXI/2010 तद्दिनांक।
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1– महालेखाकार, उत्तराखण्ड, ओबेराय मोटर्स बिल्डिंग, सहारनपुर रोड़ माजरा, देहरादून।
2– सचिव, श्री राज्यपाल, उत्तराखण्ड।
3– वरिष्ठ कोषाधिकारी देहरादून।
4– वित्त अधिकारी, इरला चैक अनुभाग, उत्तराखण्ड शासन।
5– वित्त अधिकारी, राज्यपाल सचिवालय, उत्तराखण्ड।
6– वित्त (वे0आ0–सा0नि0) अनुभाग–5/7, उत्तराखण्ड शासन।
7– प्रभारी एन0आई0सी0 सचिवालय परिसर, देहरादून।
8– गार्ड फाईल।

आज्ञा से

(सुरेन्द्र सिंह रावत)
अपर सचिव।